न्यायालय अपर जिला कलक्टर, फलौदी

पीठासीन अधिकारी श्री गोपालराम बिरड़ा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 35/2022

प्रार्थी

1. हरचंदराम पुत्र श्री कानूराम
2. जीवणराम पुत्र श्री कानूराम
3. किरताराम पुत्र श्री कानूराम
4. धनाराम पुत्र श्री कानूराम

अप्रार्थीगण

01. लखू पुत्र गोपाल
02. सुगनाराम पुत्र रामूराम
03. किरानाराम पुत्र रामूराम
04. भागीरथराम पुत्र रामूराम
05. तुलछाराम पुत्र रामूराम
06. रतनाराम पुत्र धीमाराम
07. भंवरलाल पुत्र धीमाराम

सभी जाति विश्नोई, निवासीगण ग्राम राणेरी तहसील बाप, जिला जोधपुर (राज.)

08. श्रीमान् उपतहसीलदार, शेखासर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध शुद्धि पत्र क्रमांक 03 दिनांक 02.02.2022 ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 326 में उपतहसीलदार शेखासर द्वारा स्वीकृत किया गया।

निर्णय दिनांकः 09.05.2024

अपील का सारांश इस प्रकार है कि यह है कि ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी पुरानी तहसील फलोदी नई तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 326 रकबा 66 बीघा 10 बिस्वा भूमि गोपाल, रामू पि. आदू धीमा पि. मंगला, चौना पि. लिछमण कौम विश्नोई सा. देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि में गोपाल, रामू पि. आदू, धीमा पि. मंगला, को 1/2 हिस्सा एंव चौना पि. लिछमण को 1/2 हिस्सा भूमि बंट में आती थी । इसी अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। इसी अनुसार ही मौके पर खातेदारान् का कब्जा काश्त था । चौना पि. लिछमण ने अपने बंट एंव 1/2 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि को कानू पि. अमलख को बक्सीस कर दिया तथा उक्त बक्सीस के आधार पर नामांतरकरण संख्या 24 मौजा राणेरी कानू पि. अमलख के हक में भरा जाकर स्वीकृत किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में चौना पि. लिछमण के स्थान पर उसका 1/2 हिस्सा कानू पि. अमलख के नाम दर्ज हो गया । इसी अनुसार ही मौके पर कानू पि. अमलख को कब्जा सुपुर्द किया गया जो कब्जा कानू पि. अमलख का अपने जीवन काल तक तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान् अपीलांट का आज दिन तक मौके पर शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि में चौना पि. लिछमण ने अपना 1/2 हिस्सा भूमि होना मानते हुवे अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बक्सीस कानू पि. अमलख को किया तथा इसी आधार पर कानू पि. अमलख के हक में नामांतरकरण संख्या 24 मौजा राणेरी भरा जाकर स्वीकृत किया गया उसके पश्चात् उक्त भूमि में गोपाल, रामू पि. आदू का 1/4 हिस्सा एवं धीमा पि. मंगला का 1/4 हिस्सा एवं कानू पि. अमलख का 1/2 हिस्सा दर्ज अभिलेख हो गया। इसी अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त खातेदारों का अपने अपने जीवन काल तक रहा। खातेदार गोपाल, रामू पि. आदू के फौत होने पर उनका 1/4 हिस्सा की भूमि उसके वारिसान् रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/8 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 प्रत्येक को 1/24–1/24 हिस्सा एवं धीमा पि. मंगला के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि में उनके वारिसान् रेस्पोडेंट संख्या 5 ता 7 प्रत्येक को 1/12 हिस्सा एवं कानू पि. अमलख के फौत होने पर उसके 1/2 हिस्सा की भूमि उसके वारिसान् अपीलांट प्रत्येक के नाम 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज हो गई और इसी अनुसार ही अपीलांट एंव रेस्पोडेंटस का आज दिन तक लगीतार शान्तिपूर्वक मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये सेगरीकेशन योजना के तहत भी उक्त भूमि के खातेदारों अपीलांट एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

रेस्पोडेंस का उक्त हिस्सा ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जिसको अपीलांट एवं रेस्पोडेंट ने स्वीकार किया जो बदस्तुर चला आ रहा था तथा उक्त भूमि के मूल खातेदारों ने अपने जीवन काल में उक्त भूमि में अपने हिस्सा बाबत कभी भी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद उजर एतराज वगैरा नहीं किया और न ही किसी भी न्यायालय में कोई दावा /प्रार्थना पत्र ही पेश किया। लेकिन हाल ही में रेस्पोडेंट संख्या 7 भंवरलाल ने उपतहसीलदार शेखासर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि में गोपाल, रामू पि. आदू, धीमा पि. मंगला, चौना पि. लिछमण का 1/3 – 1/3 हिस्सा होना बताते हुवे एवं चौना पि. लिछमण द्वारा अपना 1/3 हिस्सा कानू पि. अमलख को बक्सीस करना बताते हुवे उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारान् के सही वास्तविक हिस्सा को गलत होना बताकर उक्त भूमि में शुद्धि पत्र अपीलांट का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं रेस्पाडेट संख्या 1 ता 4 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 ता 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा अनुसार भरवाकर स्वीकृत करवा लिया। जो सरासर गलत एंव विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन आदेश विधि विधान, संचिका अभिलेख तथा न्याय एवं कानून के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एंव वाक्याति तथ्यात्मक भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय न्याय नियम एवं अभिलेख के विपरित है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरित है। भूमि के राजस्व रेकर्ड में आज से करीब 63 वर्ष पूर्व जब अपीलांट के पिता ने उक्त भूमि को खरीद किया तब उक्त भूमि में विक्रेता चौना पि. लिछमण का 1/2 हिस्सा दर्ज था तथा इसी अनुसार ही उसका कब्जा काश्त था तथा शेष खातेदारों का अलग से 1/2 हिस्सा दर्ज था तथा मौके पर कब्जा काश्त भी उनका 1/2 हिस्सा पर ही था तथा चौना पि. लिछमण द्वारा अपने 1/2 हिस्सा भूमि का हस्तांतरण कानू पि. अमलख को किये जाने पर शेष खातेदारों द्वारा किसी प्रकार का कोई उजर एतराज वगैरा नहीं किया गया और न ही राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एंव नामांतरकरण में हिस्सा दर्ज किये जाने पर किसी प्रकार का कोई उजर एतराज वगैरा किया गया था। अपीलांट के पिता का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा जरिये बगसीस के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुआ था और उसके बाद खरीददार कानू के फौत होने पर उनके वारिसानों के नाम जरिये फौतेदगी नामांतरकरण के दर्ज हुवे तथा उक्त भूमि के मूल सहखातेदारों के फौत होने पर उनका भी फौतेदगी नामांतरकरण भरा जाकर उनके वारिसानों के नाम दर्ज हुआ था जो आज दिन तक बदस्तु दर्ज राजस्व रेकर्ड चला आ रहा था जो करीब 63 वर्षों से दर्ज अभिलेख रहा है जिसमें करीब 15 चौसाला परिवर्तित हुवे है तथा कई नामातरकरण भी परिवर्तित हुवे है तथा बक्सीस भी हुई है । इन परिस्थितियों में शुद्धि पत्र के जरिये पन्द्रह चौसालों एवं नामांतरकरणों को बिना न्यायालय में चुनौति दिये बदला नहीं जा सकता है। लम्बे समय से चले आ रहे हिस्सा में यदि परिवर्तन चाहते है व्यथित पक्षकार को सक्षम न्यायालय में दावा करना चाहिये था तथा दावा/जवाबदावा बाद साक्ष्य सुनवाई हिस्सा तय होना था लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 7 भंवरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आलोच्य आदेश पारित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रेस्पोडेंट संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आनन फानन में कार्यवाही करते हुवे उक्त तथाकथित आलोच्य शुद्धि पत्र भरकर स्वीकृत कर दियां उक्त शुद्धि पत्र भरने एवं स्वीकृत करने से पूर्व [illegible] न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया [illegible] और न ही साक्ष्य सुनवाई का मौका प्रदान किया गया मात्र सरसरी तौर पर [illegible] आदेश पारित कर दिया। [illegible] करते समय रही लिपिकिय / पेन शुद्धि पत्र में मात्र एक चौसाला से दूसरे चौसाला में [illegible] उक्त आलोच्य आदेश में 63 वर्ष पूर्व के त्रुटी/भूल को दुरूस्त किया जा सकता है जबकि उक्त आलोच्य आदेश में 63 वर्ष पूर्व के राजस्व रेकर्ड एवं 15 चौसाला बित जाने के बाद शुद्धि पत्र भरा जाकर स्वीकृत किया गया जो कतई शुद्धि पत्र की श्रेणी में नहीं आता है तथा उक्त भूमि बाबत् कई नामांतरकरण भरे जाकर नये खातेदारों के नाम भी अमल दरामद हो गये थे। ऐसी स्थिति में भी शुद्धि पत्र के जरिये खातेदारों के दर्ज हिस्सा बट्टा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:08 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

जानकारी अपीलांट को होने पर उनके द्वारा दिनांक 17.06.2022 को उक्त आदेश की नकल प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रार्थीगण/अपीलांट को उक्त आलोच्य आदेश की प्रति दिनांक 17.08.2022 को प्रदान की गई इसलिये उक्त अपील अपीलांट की जानकारी की दिनांक से अन्दर म्याद पेश है । लेकिन फिर भी अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने बाबत् धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरान्त दरम्यान बहस माननीय न्यायालय की इजाजत से अर्ज किये जायेगे । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपतहसीलदार शेखासर द्वारा ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 326 रकबा 10. 7646 हैक्टयर अर्थात 66.10 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में भरे गये शुद्धि पत्र क्रमांक 03 दिनांक 02.02.2022 को निरस्त किये जाने एवं शुद्धि पत्र से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा पेश अपील को जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी कर तामील हेतु भेजे गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 07 की ओर से अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी ने वकालातनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के सम्मन रजिस्टर एडी से भेजे गये जिनकी रशीद पेश की गई। उनको दिनांक 27.03. 2023 को न्यायालय समय मे बार बार अवाज लगाने के बावजूद कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 07 को अनेक अवसर देने के उपरान्त अपना जवाब पेश नही किया बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजो से प्रमाणित होता है कि ग्राम राणेरी पटवार हल्का राणेरी तहसील फलौदी वर्तमान तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 326 रकबा 66.10 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में गोपाल व रामू पुत्र आदू चैना पुत्र मंगला 1/2 हिस्सा व चैना पुत्र लिछमण 1/2 हिस्सा दर्ज होकर उसका म्यूटेशन सं0 24 के जरिये चैना पिता लिछमण ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि कानू पिता अमलख को बकसीस जरिये दे दी। जिसका म्यूटेशन उक्त बकसीस दिनांक 28.01.1959 होना तथा आरआई टिप्पणी 29.04.1963 को होकर आगे की जमाबंदी में कानू पिता अमलक दर्ज हुआ उसके बाद लगातार कानू पिता अमलक 1/2 हिस्सा लगातार चले आना तथा कानू फोत होने पर उनके वारिसान अपीलाण्ट का नाम दर्ज होकर जमांबदी में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था। उक्त हिस्सा में कम व ज्यादा करने हेतु वाद पेश किया जाना आवश्यक था। क्योंकि लगभग 63 साल पुराने लगे हिस्से में कम ज्यादा करने हेतु शुद्धि पत्र के जरिये शुद्ध नही किया जा सकता है। शुद्धि पत्र केवल चालू जमावन्दी में लिपिकिय त्रुटि सुधारने हेतु भरा जा सकता है। लेकिन उक्त प्रकरण में पत्रावली अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार बाप द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहार जाकर जाकर शुद्धि पत्र भरा गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार शेखासर द्वारा ग्राम राणेरी पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के [illegible] 326 रकबा 10.7646 हेक्टर भूमि के बाबत भरे गये शुद्धि पत्र क्रमांक 3 दिनांक 02.02.20[illegible] निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि शुद्धि [illegible] दिनांक 02.02.2022 के पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:14:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुना[illegible] गया।

(गोपालराम बिरड़ा)
अति.जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी